कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2017–2018

श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्व गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में कैन्टीन व्यवस्था हेतु ई–निविदा

(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रू. 1000/–
(रूपये एक हजार मात्र)

निविदा क्रमांक–18/2017–18

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई–निविदा विज्ञप्ति क्र. 18/2017–18

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME	ENVELOPES
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	26-05-2017 11.00 AM	10-06-2017 5.00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
2	BID SUBMISSION ONLINE	26-05-2017 11.00 AM	10-06-2017 05-00 PM	
3	PHYSICAL SUBMISSION OF BID DOCUMENT	26-05-2017 11.00 AM	12-06-2017 05-00 PM	ENVELOPE A, ENVELOPE B
4	MANDATORY SUBMISSION OPEN	14-06-2017 12.30 PM	_	ENVELOPE A
5	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	14-06-2017 12.35 PM	_	ENVELOPE B
6	FINANCIAL BID OPEN	Will be informed separately	_	

अमानत राशि एवं चाहे गए दस्तावेजों की हार्ड कापी अनिवार्य रूप से 12.06.2017 तक सायंकाल 05.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होकर कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र. 486001 में जमा कर सकते है। पोस्टल विलम्ब के लिए कार्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

ई–मेलः– jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Fax-07662–242104
संपर्कः– 07662–242104,+91–9179705483,+91–9074466110

निविदा प्रस्तुत करनें संबधी सामान्य निर्देशः–

1. प्रत्येक निविदादाता को निविदा के रूप मे 02 सील्ड लिफाफे **ए एवं बी** एक बड़े आउटर लिफाफे **सी** में सील्ड कर प्रस्तुत करने होंगे।

लिफाफा ए मे रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः–

1. धरोहर राशि रूपये 30,000/–(तीस हजार) **आनलाईन**–मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के खाते में जमा की जावे। समस्त आनलाईन भुगतान की रसीद की प्रति रखी जावे।

लिफाफा बी मे रखे जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूचीः–

1. मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित।
2. वित्तीय वर्ष 2015–16 (एसेसमेंन्ट ईयर 16–17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
3. 100 रू. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)
4. पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।
5. टिन रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।
6. एफ.एस.एस.आई सर्टिफिकेट की छायाप्रति।
7. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
8. श्रम विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।
9. पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो 01.05.2017 के बाद जारी किया गया हो।
10. खाद्य विभाग द्वारा जारी जीवित लायसेन्स की छायाप्रति।
11. वार्षिक टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2016–17 का राशि रू. 08.00 लाख (आठ लाख) से अधिक होना चाहिए। सत्यापन हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

कैन्टीन व्यवस्था हेतु ई–निविदा की नियम एवं शर्ते

1. गांधी स्मारक चिकित्सालय एवं संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय रीवा में कैन्टीन व्यवस्था हेतु वर्ष 2017–18 के लिये ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट https://www.mpeproc.gov.in पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट http://www.ssmcrewa.com में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करनें की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नही की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 1000.00 (एक हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नही है।
3. निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 30,000/–(तीस हजार) आनलाईन–मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के खाते में जमा की जावे। इस राशि पर निविदाकार को ब्याज देय नही होगा।
4. शासनहित/जनहित में अधोहस्ताक्षरी को किसी भी एक निविदा/सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने एवं चिकित्सालय हित में निविदा शर्तो मे संशोधन करने का अधिकार होगा।
5. निविदा आनलाईन भरी जावेगी तथा निविदा की हार्डकापी पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, हाथों हाथ में से किसी भी एक माध्यम द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। पोस्टल विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नही होगा ।
6. निविदाकार का निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करना होगा। निविदा हेतु मांगे गए सभी दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा, किसी भी दस्तावेज के न होने की दशा में निविदा निरस्त की जावेगी।
7. ठेका की अवधि 05 वर्ष के लिए होगी। विशेष परिस्थितियों में निविदा की अविधि बढ़ाई/घटाई जा सकेगी।
8. **कैन्टीन का आरक्षित न्यूनतम किराया (मिनिमम रिजर्व मंथली रेन्ट) राशि रू. 10,000.00 प्रतिमाह होगा, इससे अधिक राशि भरने वाले जिस निविदाकार की किराया दर सबसे अधिक होगी उसे निविदा आवंटित की जावेगी।** किराया की राशि अग्रिम के रूप में माह की 05 तारीख तक स्वशासी निधि में जमा करना अनिवार्य होगा। 05 तारीख तक जमा न करने की दशा में अगले दिन से 100 रू प्रतिदिन आर्थिक दण्ड देना होगा।
9. निविदाकार को फर्नीचर एवं बैठक व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

10. उपयोग किए जाने वाले पानी, बिजली, का खर्च प्रतिमाह निविदाकार को जमा करना होगा। इसके लिए लो. नि.वि. की निगरानी में सबमीटर लगाना होगा, तथा उनके सत्यापन के आधार पर राशि जमा करनी होगी।
11. कैन्टीन के रखरखाव एवं साफ सफाई की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। भवन में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ किए जाने पर धरोहर राशि से मेन्टेनेस की राशि काट ली जावेगी।
12. कैन्टीन में चिकित्सकों, कर्मचारियों, छात्रों एवं सामान्य जनों हेतु बैठक व्यवस्था पृथक पृथक होगी।
13. कैन्टीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को परिचय पत्र के साथ ड्रेस कोड का पालन करना होगा। रसोई में कार्य करने वाले कर्मचारियों को एप्रेन एंव मास्क तथा टोपी लगाना अनिवार्य होगा।
14. कैन्टीन को वातानुकूलित बनाने हेतु सभी प्रकार की व्यवस्थाएं निविदाकार को करनी होगी।
15. कैन्टीन प्रातः 07 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक खुली रहेगी।
16. निविदाकार को गर्म खाद्य पदार्थों हेतु माइक्रोवेव ओवेन/वार्म डिस्पेन्सर लगाना अनिवार्य होगा।
17. निविदाकार को सभी खाद्य पदार्थ गरम और ताजे उपलब्ध कराने होंगे तथा ताजे बने उत्पादों जैसे समोसा, चाय हेतु पेपर कप एवं प्लेट का उपयोग कराना होगा। उपयोग पश्चात् इसका म्यूनिसिपल वेस्ट की निष्पादन करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। म्यूनिसिपल वेस्ट हेतु डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।
18. निविदाकार को जल्द खराब होने वाले आईटम/शीतल पेय/पैक्ड जूस हेतु स्वयं के व्यय पर कमर्शियल फ्रिज की व्यवस्था करनी होगी।
19. किसी भी पैक्ड आईटम जैसे– चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ/शीतल पेय एवं मिनरल वाटर प्रिंट रेट अथवा उससे कम में ही उपलब्ध कराना होगा। अधिक राशि की वसूली की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा तथा सुधार न होने पर निविदा निरस्त की जा सकेगी। नि. विदाकार को बेचे जाने वाले खाद्य सामग्री की रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगी। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।
20. कार्य संतोषजनक न होने पर एक वर्ष के पूर्व भी एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कराया जा सकेगा।
21. पानी स्वच्छ एवं जीवाणुरहित होना चाहिए। इस हेतु निविदाकार को स्वयं के व्यय पर आर.ओ. वाटर सिस्टम लगाना होगा।
22. निविदा स्वीकृत होकर कार्य हेतु आदेशित करने पर कार्य न करने की दशा में अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य के लिए निविदा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
23. भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बाल श्रमिक किसी भी दशा में कार्य पर नही लगाए जावेंगे।
24. निविदा की शर्तें भतिभॉति पढ एंव समझने के पश्चात ही निविदा भरी जावे।
25. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।
26. कैन्टीन में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की सूची एवं दर पर ही विक्रय करने की अनिवार्यता होगी। निविदा में इससे अधिक दर स्वीकार योग्य नही होगी।
27. दरें निम्नानुसार होंगीः–

Sr. No.	ITEM	RATE (IN RS.)
1.	गरम कॉफी फुल कप	18-00
2.	गरम कॉफी हाफ कप	10-00
3.	चाय फुल कप	14-00
4.	चाय हाफ कप	08-00
5.	समोसा एक नग	08-00
6.	आलू बंडा एक नग	10-00
7.	कचौरी एक नग	10-00
8.	बटर टोस्ट	50-00
9.	फ्रेंच टोस्ट	60-00
10.	बटर ब्रेड	30-00
11.	पोहा	10-00
12.	लस्सी	35-00
13.	मट्ठा	20-00

14.	मैंगो शेक	40-00
15.	पाईनएप्पल शेक /मिक्स फ्रूट/आरेन्ज/मौसमी	40-00
16.	मिल्क शेक	35-00
17.	कोल्ड ड्रिंक	MRP
18.	आइस क्रीम	MRP
19.	मसाला डोसा	60-00
20.	सादा डोसा	50-00
21.	दही बड़ा (2 पीस)	30-00
22.	वेज सैंडविच	40-00
23.	उबला अंडा (2 पीस)	20-00
24.	आमलेट 2 अंडे	35-00
25.	छोला भटूरा	70-00
26.	वेजेटेबल सूप/कॉर्न सूप/चायनीज	40-00
27.	टोमेटो सूप	30-00
28.	हॉट एण्ड सॉर सूप	50-00
29.	बॉइल्ड राइस फुल	60-00
30.	बॉइल्ड राइस हाफ	40-00
31.	फ्राइड राईस चायनीज	80-00
32.	फ्राइड राईस चायनीज हाफ	50-00
33.	जीरा राईस फ्राईड फुल	80-00
34.	जीरा राईस फ्राईड हाफ	50-00
35.	तवा रोटी	06-00
36.	तवा रोटी विथ बटर	10-00
37.	सादा पराठा अचार के साथ	20-00
38.	आलू पराठा दही के साथ	30-00
39.	दाल प्लेन फुल	60-00
40.	दाल फ्राईड फुल	100-00
41.	दाल फ्राईड हाफ	60-00
42.	मिक्सड वेज/मौसमी सब्जी फुल	100-00
43.	मिक्सड वेज/मौसमी सब्जी हाफ	60-00
44.	मटर पनीर फुल	140-00
45.	शाही पनीर	140-00
46.	मशरूम चिली	140-00
47.	पनीर चिली	140-00
48.	बटर पनीर मसाला	140-00
49.	मटर पनीर हाफ	75-00
50.	गोभी आलू चिली	100-00
51.	दाल फ्राई	60-00
52.	छोले/राजमा राईस	80-00
53.	मंचूरियन/फ्राईड राइस	100-00
54.	राईस एग करी	100-00
55.	दही फुल क्रीम 250 ग्राम	50-00
56.	रायता फुल	60-00
57.	सलाद फुल	60-00
58.	सलाद हाफ	35-00
59.	पापड़	7-00
60.	पापड़ फ्राइड	10-00
61.	अंडा करी 2 अंडे	70-00
62.	वेज स्प्रिंग रोल	100-00
63.	चाउमीन फुल	60-00
64.	चाउमीन हाफ	40-00
65.	मैगी प्लेन	30-00
66.	मिक्स वेज मैगी	50-00

67.	फ्रेंच फ्राईस	50-00
68.	मंचूरियन फुल	100-00
69.	मंचूरियन हाफ	60-00
70.	पोटेटो वेजेस	60-00
71.	वेजिटेबल पिज्जा	100-00
72.	एग सेंडविच	60-00
73.	आलू टोस्टर	50-00
74.	एग करी	100-00
75.	एग भुर्जी	60-00
76.	वेजेटेबल उपमा	50-00
77.	वेज उत्थपम	60-00
78.	आलू मटर	60-00
79.	पनीर भुर्जी	80-00
80.	पुलाव वेज	120-00
81.	पुलाव पनीर	125-00
82.	वेज विरयानी	100-00
83.	एग विरयानी	120-00
84.	खिचड़ा	100-00
85.	अन्य पैक्ड पेय/खाद्य सामग्री	MRP

28. किसी भी शासकीय/अशासकीय/कार्पोरेट संस्थान में कैन्टीन चलाने के अनुभव प्राप्त निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी। (भारतीय रेल/इंडियन काफी हाउस/शासकीय/अशासकीय चिकित्सालय/महाविद्यालय आदि)

29. निविदाकार को शर्त क्रं. 27 में दर्शाई गई सामग्री के अतिरिक्त यदि कोई खाद्य सामग्री विक्रय करनी होगी तो प्रथम पक्ष से उसकी अनुमति लेना होगी तथा उनकी दरें प्रथम पक्ष की सहमति से निर्धारित की जावेंगी।

30. कैंटीन में मादक पदार्थों का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। यदि ऐंसी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो निविदाकार के विरूद्ध नियमानानुसार कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें ठेका निरस्त कर जमा अमानत राशि को राजसात किया जा सकेगा।

31 कैन्टीन हेतु संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय के भूतल में स्थान उपलब्ध है, जिसका निरीक्षण इच्छुक निविदाकार निविदा डालने के पूर्व कर सकते हैं।

32. भविष्य में यदि भारत शासन/राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त फर्म को केंटीन सेवा उपलब्ध कराने हेतु नामित किया जाता है, तो 03 माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर दिया जावेगा। तथा इसके विरूद्ध निविदा कार किसी भी न्यायालय अथवा अन्य फोरम में दावा प्रस्तुत नही कर सकेगा।

33. समस्त विवाद रीवा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निपटारित किए जावेंगे।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

<u>प्रपत्र – ए</u>

(लिफाफे को सील बंद करें तथा लिफाफें पर प्रपत्र ए स्पष्ट उल्लेखित करें)
समस्त आनलाईन भुगतान की रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	रसीद क्रमांक	बैंक का नाम	राशि	

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर....................................

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

¼doy vkuykbu Hkjk tkos½

¼nj i=d½

}kjk %&---
----

ifr]

l ;Dr l pkyd ,o v/kh{kd
xk/kh Lekjd fpfdRLkky;
jhok e-i-

fOk"k;%& dUVhu O;oLFkk gsrq fufonk A

lanHk%& vkids dk;kZy; dh bZ&fufonk vkea=.k lwpuk d-----------------------fnukad

egksn;]

dUVhu O;oLFkk gsrq fufonk ds fucU/ku ,oa 'krksZa dks ekU; djrs gq, viuh ekfld fdjk;k gsrq fuEukuqlkj nj iLrqr dj jgk gw A

कैन्टीन का मासिक किराया :-

कैन्टीन का मासिक किराया मिनिमम रिजर्व 10,000.00 प्रतिमाह होगा, इससे अधिक राशि भरने वाले जिस निविदाकार की दर सबसे अधिक होगी उसे निविदा आवंटित की जावेगी।

fufonkdrk@lsoknkrk ds gLrk{kj
uke ,oa i.kZ irk
lLFkk dh lhy

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्रः– बी

(पूर्ण रूप से भर कर एवं हस्ताक्षरित कर लिफाफे को सील बंद करें एवं लिफाफे पर प्रपत्र बी स्पष्ट रूप से उल्लेखित करें)

निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क्र. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नही	हां	नही
1.	धरोहर राशि रूपये 30,000/–(तीस हजार) का आनलाईन भुगतान की रसीद– संलग्न करें जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के खाते में खाते में जमा की गई हो।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एवं सील सहित				
3.	वित्तीय वर्ष 2015–16 (एसेसमेंन्ट ईयर 16–17) का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)				
4	100 रू. के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित घोषणा पत्र (मूल प्रति)				
5	पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति				
6.	टिन रजिस्ट्रेशन नं. की छायाप्रति।				
7.	एफ.एस.एस.आई सर्टिफिकेट की छायाप्रति।				
8	सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
9	श्रम विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।				
10	पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो 01.05.2017 के बाद जारी किया गया हो।				
11	खाद्य विभाग द्वारा जारी जीवित लायसेन्स की छायाप्रति।				
12	वार्षिक टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2016–17 का राशि रू. 08.00 लाख (आठ लाख) से अधिक होना चाहिए। सत्यापन हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।				

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

<u>घोषणा पत्र (शपथ पत्र)</u>

<u>(100/– रूपये के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)</u>

1. मै/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूं/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मै/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे उपर राज्य/केन्द्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नही है।
8. हमारी संस्था के विरूद्व सी.बी.आई0/लोकायुक्त/ई.ओ.डब्ल्यू/शासकीय कार्यालय इत्यादि में कोई जांच लंबित नही है और न ही सक्षम न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न ही दण्डित किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किए जाने पर में स्वयं उत्त्रदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर

निविदाकार के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम.................................. ....

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम..........................व पता... पता...

2. गवाह का नाम................................ ....

संस्था का नाम एवं पता...व पता...... ....